# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 164 / 10

1. धापू बाई बेवा स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति जाट निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. रमेश चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति जाट निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. हेमराज पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. सत्यनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति जाट निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती लीला पुत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण पत्नी जोधराज जाति जाट निवासी सातलखेडी हाल निवासी पिपलाज तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
6. श्रीमती सुशीला पुत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जी पत्नी श्रीरामसिंह जाति जाट निवासी सातलखेडी हाल निवासी अम्बाला तहसील खानपुर जिला झालावाड ।

—अपीलान्ट

## बनाम

1. राजेश उर्फ धर्मेन्द्र
2. लाल उर्फ गुलजारीलाल पुत्रगण श्योकरण जी जाति बैरवा निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. गलकू बाई पत्नी श्योकरण जाति बैरवा निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजण्डी जिला कोटा ।
4. राजू बाई
5. अनिता बाई
6. कान्तिबाई
7. मंजू बाई पुत्रियॉ श्योकरण जाति बैरवा निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. घनश्याम आत्मज स्वगर्भ्य श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति जाट निवासी ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांकः 16.04.2018

## निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.07.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के विरूद्ध पेश की गई है ।

करण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 437 की 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी को हक विरासत में प्रापत आराजी खसरा नम्बर 460 से लगी हुई रही है और उक्त भूमि लगभग 100–150 वर्षों से खसरा नम्बर 460 के साथ सम्मिलित काश्त योग्य भूमि वादी के पूर्वजों के समय से अब तक निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है । अतः वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे ।

3. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण सवर्ण जाति के सदस्य हैं तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जो रिकॉर्डेड खातेदार हैं । उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से हिट व बाधित होने से चलने योग्य नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वादकारण पैदा होना नहीं बताया है । वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2010 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के पिता एवं प्रतिवादी श्योकरण द्वारा वूर्व उक्त आराजी के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखली आराजी के पृथक–पृथक दो दावे अलग–अलग सयम पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये थे जो खारिज हो चुके हैं तथा बेदखली आराजी के वाद की अपील भी खारिज फरमाई जा चुकी है । उक्त निर्णय अंतिम हो चुके है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पुराना होना साबित है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर उक्त वाद का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 निरस्त फरमाया जावे।

…ने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय …हस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्ग प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 30.07.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावा एवं जवाबदाव के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा